न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2018 निगरानी

II/ निगरानी/मुरैना/भू.रा/2018/0572

1. श्रीमती सुषमा पत्नी जयलाल
2. नरेन्द्र पुत्र जयलाल
3. शीला
4. रतना } पुत्रीयां जयलाल
5. मीरा
6. अम्बरेश } पुत्रगण दिनेश
7. चन्की
8. मुनिया पत्नी सुरेश
9. विनय
10. विपिन
11. विशन } पुत्रगण सुरेश
12. लोकेन्द्र
13. चंकी
14. करण
15. दामिनी
16. पूनम
17. तपस्या } पुत्रियां सुरेश
18. मोहिनी
19. मीना

समस्त निवासीगण अम्बाह रोड़ बड़ोखर तहसील व जिला मुरैना म.प्र.

..........आवेदकगण

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना

.............अनावेदक

श्री सतेन्द्र सिंह ... ने आज दि. 19.1.18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ... 18

19-01-2018

सतेन्द्र सिंह ... ग्वालियर

19.1.18

शाखा प्रभारी ...

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क. 470/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.09.2017 के विरुद्ध निगरानी जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/0572

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/08/2018	आवेदक अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 14.09.2017 के विरुद्ध दिनांक 19.01.2018 को विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में जो तर्क दिए गए हैं, वे मान्य योग्य नही हैं। संहिता की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	